# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

## पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

## पत्रावली संख्या : 173/12 (प्रा0पत्र)

## GCMS No. : 2012/00416

**अनवान्**

1. श्री धना पिता दौला जाट निवासी सालेराखुर्द तहसील मावली।
2. श्री नाथु पिता गेगा जाट निवासी सालेराखुर्द तहसील मावली। **अबेट किया।**

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हुकमा पिता परथा बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द। **तर्क किया।**
2. श्री खीमाराम पिता परथा बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द। **तर्क किया।**
3. श्री सरूपा पिता परथा बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
4. सरसीबाई पिता परथा बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
5. भूरीबाई पिता परथा बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
6. श्री लक्ष्मण पिता नोजीराम बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
7. दासु पिता नोजीराम बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
8. मुस्मात भंवरीबाई बेवा नोजीराम बलाई निवासी टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
10. पटवारी, पटवार हल्का बडियार तहसील मावली।
11. उप पंजीयक अधिकारी मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

**उपस्थित–1.** श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

# प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## —: : निर्णय : :—

**दिनांक : 23.09.2025**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की गत साबिक खसरा नम्बर 96/1 क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा, 96/2 क्षेत्रफल 1 बिस्वा कुल किता 2 क्षेत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 5 के पिता एवं 6 व 7 के दादा तथा 8 के ससुर श्री परथा बलाई के नाम से दर्ज थी।

2. यह कि श्री परथा द्वारा सम्वत् 2005 के बेसाख सुदी को 2200/— रूपये में प्रार्थी संख्या 2 के पिता गेगा को निम्नांकित पडौस के मध्य स्थित नामा रूरडा की 10 बीघा 18 बिस्वा कृषि भूमि का बिकाव कर दिया, इससे पूर्व भूमि गेगा के पास 1200/— रूपये में गिरवी थी एवं 1000/— रूपये ओर लेकर उक्त दस्तावेज सम्पादित किया गया जिसकी अभिस्वीकृति संदर्भित दस्तावेज में की गई एवं खसरा गिरदावरी में भी इन्द्राज उपलब्ध है।

   आधमणों :— जाट कसना जी की ढाणवाडा की जमीन।

   उगमाणी :— जडावचन्द जी मावली वाला रो रावता री जायगा रो मोल लीदा जणा खेता रा।

   धराउ :— जाट वरदा जी ढाणा वारा री जमीन।

   लंकाउ :— जाट कसना जी ढाणा वारा री जमीन।

   उक्त भूमि के पडौस के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जिसका कब्जा विक्रेता परथा ने क्रेता को संवत् 2005 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व विक्रय कर सिपूर्द कर दिया तभी से प्रार्थी पक्ष का कब्जा चला आ रहा हैं।

3. यह कि भू प्रबन्ध सम्वत् 2023 में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के आराजी नम्बर 96/1 क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा के क्षेत्रफल 2 बिस्वा, 202 क्षेत्रफल 8.14 एवं 205 क्षेत्रफल 6.05 कुल किता 3 जिसके 8 बीघा 14 बिस्वा व 96/1 मीन क्षेत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा एवं 96/2 क्षेत्रफल 2 बिस्वा का नवीन भू प्रबन्ध में ख. न. 201 जरीब के अन्तर से कुल क्षेत्रफल 15.01 बीघा बनाये गये हैं।

4. यह कि प्रार्थी के परिवार का सजरा निम्नानुसार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

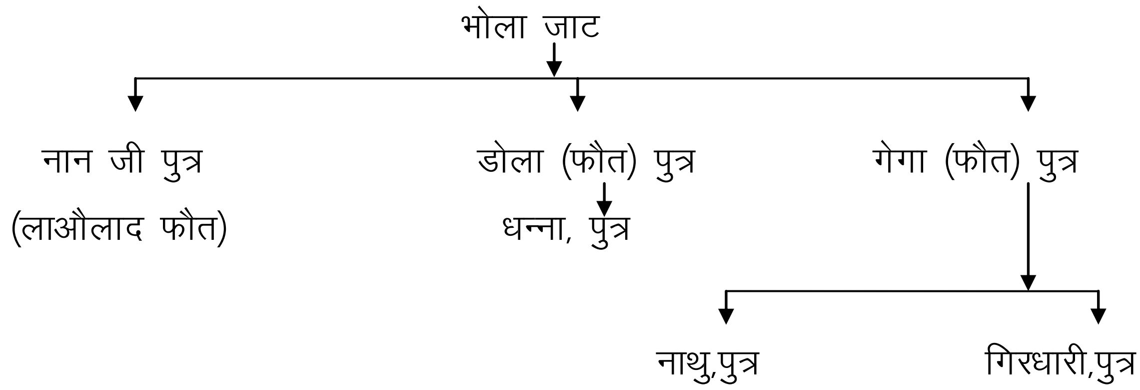


इस प्रकार परथा के खानदान में प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 ही वारिस एवं जीवित संतान रहे।

5. यह कि विपक्षी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :—

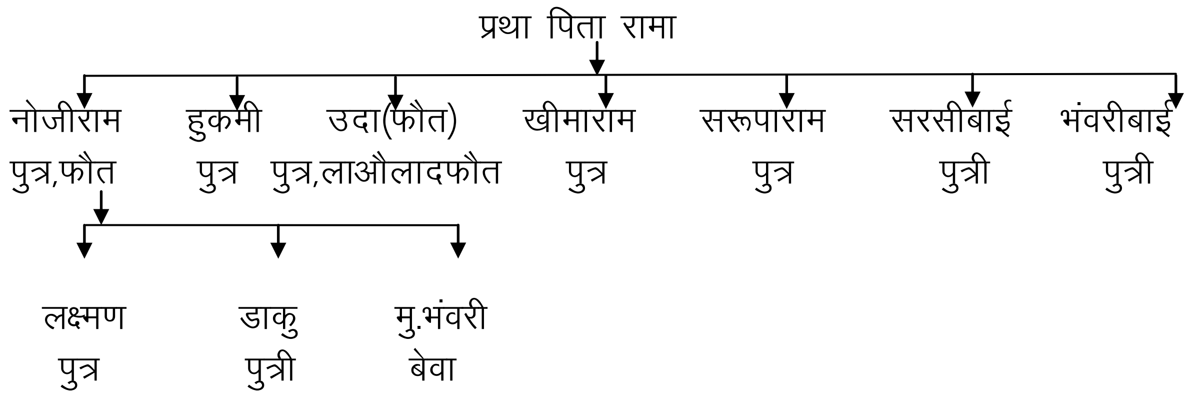


इस प्रकार परथा के वारिसान में विपक्षीगण रहे हैं।

6. यह कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार मावली ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175 के अन्तर्गत एक वाद उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में दिनांक 26.11.1975 को श्री दौला पिता भोला जाट, नाथु पिता गेगा जाट एवं परथा पिता रामा बलाई के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसमें श्री दौला नाथु द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि भूमि सम्वत् 2005 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु होने से पूर्व क्रय की गई जो पुरानी डोरी से 10 बीघा के करीब होकर वर्तमान डोरी से 15.01 बीघा बनती है, भूमि पर पुराना कब्जा होने से स्वतः कानूनन खातेदार काश्तकार बन जाते है। उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर ने उक्त प्रकरण पत्रावली संख्या 230 सन् 76 पर दर्ज कर दिनांक 18.12.76 से वादी का वाद निरस्त करते हुए क्रेता का भूमि पर कब्जा होना स्वीकार किया है एवं वाद पत्र अवधि बाहर पेश होना माना हैं। इस निर्णय के विरूद्व भूमिधारी तहसीलदार अथवा परथा द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गई जिससे उक्त निर्णय अंतिम हो गया जिससे इसे अब अन्य किसी प्रकार कानूनन चुनोती नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त धारा 42 (ख) के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

22.09.1956 से 01.05.1964 के मध्य हुए विक्रय को शुन्य माना गया है जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व का हैं।

7. यह कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) मावली में प्रस्तुत किया गया जिसके कलम संख्या 3 में उसके विरूद्व धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही एवं निर्णय का स्पष्ट उल्लेख किया गया जिससे दस्तावेज सम्वत् 2005 के फर्जी होने का कतई अन्देशा नहीं है परन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने उक्त वर्णित वाद में अन्य भूमि जिसे दिनांक 30.01.1966 को क्रय किया गया को आधार बना वाद पेश किया गया जिसके पडौस निम्न प्रकार है :–

उगमणों :– जाट हीरा जी तथा नानजी नाथुजी का खेत

अथाणु :– जाट उदा जी गोक जी पिता किशना जी

धराउ :– जाट हीरा जी जयचन्द जी जाट

लंकाउ :– जाट गोकल जी उदा जी पिता किशना जी

जबकि उक्त दस्तावेज में वर्णित भूमि के पडौस सम्वत् 2005 के दस्तावेज में अंकित पडौसों से भिन्न है इस वाद के 4/08 अनवान धन्ना बनाम हुकमा में माननीय न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाद न्यायालय की सुनवाई का क्षेत्राधिकार का नहीं होने से दिनांक 06.02.2009 को निरस्त कर दिया गया तथा वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का माना गया जिसकी अपील न्यायालय डिस्ट्रीक्ट जज उदयपुर में प्रस्तुत करने पर न्यायालय मुन्सीफ मजिस्ट्रेट (क.ख.) मावली का निर्णय यथावत् रखा गया परन्तु इसके साथ ही दस्तावेज को शुन्य घोषित किया गया इससे प्रार्थी के वर्तमान वाद व प्रार्थना पत्र पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता क्योंकि उक्त दस्तावेज में वर्णित भूमि अन्य है। जब न्यायालय ने प्रकरण को सुनवाई के क्षेत्राधिकार का ही नहीं होना माना है तो ऐसी स्थिति में वाद अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्था 1968 आर.एल.डब्ल्यू. 376, 1984 आर.आर.डी. 482, 1963 आर.एल.डब्ल्यू. 310 के अनुसार वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त व्यवहार प्रक्रिया के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान विधि एवं तथ्यों का मिश्रण है जिससे वाद में उक्त वाद बिन्दू पर तनकीयात निर्धारित कर समस्त वाद बिन्दुओं के साथ निर्णय किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में माननीय सिविल न्यायालय मावली एवं जिला जज द्वारा पारित निर्णय को प्रकरण के निस्तारण के लिये अंतिम नहीं माना जा सकता।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि वाद संख्या 04/08 में प्रस्तुत दस्तावेज सम्वत् 2022 दिनांक 30.01.1966 था जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा भूमि सम्वत् 2005 में ही क्रय कर ली थी एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019 में भी बिकाव से उसका नाम दर्ज हो चुका है जिससे भी दस्तावेज सम्वत् 2022 का भिन्न आराजी से संबंधित होना प्रमाणित हैं। वाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है जिसे सुनवाई की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है, ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में स्थिति होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं। विवादित भूमि पर प्रार्थी पक्ष का कब्जा सम्वत् 2005 से चला आ रहा है एवं राजस्व रिकार्ड में भी इसका इन्द्राज हैं इसके अतिरिक्त प्रार्थी पक्ष द्वारा लगान भी राज्य सरकार में जमा कराया जा रहा है। इसलिए प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हो जाते हैं एवं विपक्षीगण द्वारा कब्जा प्राप्त करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी हैं। विपक्षीगण अपने पिता से ग्राम नाई का ढाणा छोडकर टाडावाडा गुजरान तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द में सम्वत् 2005 से चले गये एवं भूमि पर उनका कब्जा नहीं रहा परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि परथा के नाम दर्ज रह जाने से नामान्तरकरण क्रमांक 108 दिनांक 21.01.08 विरासत के आधार पर पारित कराया जो प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अन्तर्गत नामान्तरकरण पारित करने के पूर्व कब्जे की जांच करना आवश्यक है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा खसरा गिरदावरी प्रार्थीगण के पिता के नाम का अंकन के साथ ही भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 175 का होते हुए भी कब्जे की जांच के बिना विरासत का नामानतरकरण पारित किया जो अवैधानिक है जो प्रार्थीगण के मुकाबले शुन्य है एवं केवल मात्र विरासत का नामान्तरकरण पारित हो जाने मात्र से विपक्षीगण के कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है जिससे प्रार्थीगण को विवादित भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

9. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 14.03.1955 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् राजपत्र एफ.1 (37) रे. 113/55 दिनांक 14.10.1955 से प्रभावशील हुआ है जबकि प्रार्थीगण के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावशील होने के पूर्व का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी. का समायोजन वर्णित तिथि अर्थात् 2005 को नहीं था एवं अधिनियम की धारा 42 बी के अन्तर्गत दिनांक 22.09.1956 से 01.05.1964 के मध्य हुए

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

अनुसूचित जाति एवं स्वर्ण जाति के मध्य हुए हस्तान्तरण को अवैध एवं अमान्य माना गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण पर उक्त प्रावधान लागु नहीं होते है जिससे प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कानूनन बाधा नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व प्रार्थी पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं विरासत के आधार पर कब्जा नहीं होते हुए भी नामान्तरकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख में नाम अंकित हो जाने से विपक्षीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है जिससे विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना प्रार्थीगण के लिये आवश्यक हो गया हैं।

10. यह कि विपक्षीगण कानून हाथ में लेकर प्रार्थीगण को जबरन वादग्रस्त भूमि से हटाकर कब्जा करने हेतु अपने पक्ष में नामान्तरकरण खोलने के बाद इसका लाभ उठाकर दिनांक 30.06.2012 को मौके पर आये परन्तु प्रार्थीगण भूमि पर मौजूद थे इसलिए उन्होने कब्जा नहीं करने दिया जिस पर विपक्षीगण यह धमकी देकर चले गये कि हम जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। विपक्षीगण प्रार्थीगण को प्राप्त कानूनी अधिकारों से ही इन्कार कर रहे है ऐसी स्थिति में उनके मध्य विवाद होने की पूर्ण सम्भावना है और प्रार्थना पत्र कारण विपक्षीगण द्वारा धमकी देने की दिनांक के बाद प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है जिससे कि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 30.06.2012 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 8 ने उक्त भूमि से हमें बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की गत साबिक खसरा नम्बर 96/1 क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा एवं 96/2 क्षेत्रफल 1 बिस्वा जिसके नवीन भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 96/1 क्षेत्रफल 10 बीघा 17 बिस्वा में से 8 बीघा 4 बिस्वा, 96/1 मीन क्षेत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा एवं 96/2 क्षेत्रफल 2 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 201 क्षेत्रफल 2 बिस्वा, 202 क्षेत्रफल 8 बीघा 14 बिस्वा एवं 205 क्षेत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि में वर्णित कृषि भूमि को दौराने वाद रहन बैह, बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित नहीं करे, जबरन कब्जा नहीं करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे, यह कार्य विपक्षीगण स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें एवं विपक्षी संख्या 9 से 11 को पाबंद किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 8 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो मूलवाद विपक्षी संख्या 11 उसका पंजीयन नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 9, 10 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 3, 6 से 8 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने न्यायालय आपमें वाद पत्र एवं धारा 212 राज. टी. एक्ट के अन्तर्गत इस प्रार्थना पत्र एवं वादपत्र के सम्मन ही केवल डाक से भिजवाये, जिनमें वादपत्र की नकल और प्रार्थना पत्र की नकले नहीं भिजवाई, तारीख 24.09.2013 ई. को न्यायालय के समक्ष नकल दिलवाने के लिये निवेदन किया, जिस पर वकील प्रार्थी ने वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र की नकले दी। जिसे पढने से मालूम हुआ कि प्रार्थी ने वाद पत्र एवं यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश कर रखा हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना अधिकार का होने से वाद सव्यय खारिज होगा। वादगत भूमि के गत सेटलमेन्ट जो सन् 1972 में सम्पूर्ण हुआ, उसके पूर्व आराजी नम्बर किस तरह अंकित थे विपक्षीगण को मालूम नहीं है परन्तु यह स्वीकार है कि वादगत भूमि स्व. प्रथा पिता रामा बलाई से विपक्षीगण को विरासत से प्राप्त हुई है और विपक्षीगण के खातेदारी में अंकित हुई हैं।

12. यह कि वादगत भूमि प्रार्थी के पिता गेगा को या प्रथा बलाई ने प्रार्थी संख्या 1 के पिता को सम्वत् 2005 के वैशाख सुदी के किसी दिन नहीं बेची। प्रथा बलाई ने गेगा के पक्ष में कोई विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। प्रार्थी संदर्भित दस्तावेज का जिकर कर रहा है परन्तु वह संदर्भित दस्तावेज कौनसा है, ऐसा दस्तावेज बिकाव–पत्र, रहन पत्र या अन्य कोई दस्तावेज अगर है तो वह दस्तावेज स्टाम्प पर लिखा हुआ है या अनस्टाम्पड है। अगर स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है तो कितने रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ है, आया उसका पंजीयन हुआ है या नहीं। कोई भी तथ्य प्रार्थी प्रकट नहीं कर रहा हैं। मौजा नाई का ढाणा की हाल आराजी नम्बर 201, 202, 205 किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा के गत सेटलमेन्ट से पूर्व क्या नम्बर थे और उसका रकबा कितना था, इसकी विपक्षीगण को जानकारी नहीं है। प्रार्थी सरकारी दस्तावेजो से साबित करावें। प्रथा का पुत्र खीमाराम तीन वर्ष पहले ही मर चुका है जिसकी प्रार्थीगण को जानकारी है क्योंकि इसी भूमि के बारे में प्रार्थीगण ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश क. ख. मावली में निषेधाज्ञा का एक वाद किया जिसका मुकदमा नम्बर 04 सन् 2008 ई.दी. था जो वाद तारीख 06.02.2009 को न्यायालय ने खारिज कर दिया था। जिसकी अपील प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उदयपुर जिला न्यायाधीश में की और उसका निस्तारण अपर जिला न्यायाधीश महोदय, क्रम संख्या 01 उदयपुर ने तारीख 17.04.2012 को अस्वीकार कर दी हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. मावली में प्रार्थीगण ने जो निषेधाज्ञा का वाद मुकदमा नम्बर 04 सन् 2008 किया उस वाद की चरण संख्या 2 में यह अंकित किया है कि ''उक्त आराजीयात परथा, गोदा पिता रामा बलाई के खातेदारी व आधिपत्य की थी जिसे परथा, गोदा पिता रामा बलाई ने तारीख 30.01.1966 ई. को नानजी, दौलाजी पिता भोला जी जाट व नाथूजी, गिरधारी जी पिता गंगारामजी (गेगाजी) जाट का बिकाव से कब्जा सौंप दिया व ताईद में बिकावनामा निष्पादित कर अपनी अंगुष्ठ निशानी कर दी।'' न्यायालय आपमें प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में यह विक्रय सम्वत् 2005 के वैशाख सुदी को कर देने का कथन कर रहे है। दोनो जगह विक्रय करने की अलग–अलग तारीखे बता रहे हैं। सम्वत् 2005 को गुजरे 65 वर्ष हुए है तो 30.01.1966 से आज तक 50 वर्ष ही हुए है प्रार्थीगण विपक्षीगण जो अनुसूचित जाति के गरीब खातेदार काश्तकार है, की भूमि को हडप करने की बदनियति में हैं। वादगत भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा, भुगतभोग हैं। प्रार्थीगण का इस वादगत भूमि पर कोई कब्जा, हक, दखल नहीं हैं।

13. यह कि वादगत भूमि विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि भूमि है और इस पर कब्जा विपक्षीगण का ही है। विपक्षीगण के पूर्वज प्रथा पिता रामा जी ने यह भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज को नहीं बेची, न इनके पक्ष में कोई विक्रय पत्र ही निष्पादित किया, न वादगत भूमि का कब्जा प्रार्थीगण के किसी पूर्वज यानि नानजी, दौलाजी, गेगा पिता भोला जाट को या इनके पिता भोला जाट को ही दिया हैं। कब्जा प्रथा जी का ही उनके जीवनकाल तक रहा जिसके बाद हम विपक्षीगण का कब्जा वादगत भूमि पर चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण ने जो वाद मु.न. 04 सन् 2008 ई.दी. न्यायालय सिविल न्यायाधीश क.ख. मावली में पेश किया उसमें भूमि क्रय करने की तारीख 30.01.1966 ई. दर्ज की वह गलत तारीख लिखना मानने योग्य कथन नहीं हैं। जब प्रार्थीगण को अपने विक्रय तारीख 30.01.1966 ई. से सफल होने की सम्भावना नहीं दिख रही है तो विक्रय पहले का बताने का बनावटी एवं काल्पनिक कथन कर रहे हैं। प्रार्थीगण की अपील न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायालय उदयपुर में हुई और जिसका निर्णय 17.04.2012 ई. को अपील संख्या 24/2009 अपील दिवानी न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 3 ने किया उसमें दस्तावेज को Void घोषित किया है उसे प्रार्थीगण अस्वीकार नहीं कर सकते है क्योंकि इसकी कोई अपील प्रार्थीगण ने नहीं की हैं। न्यायालय सिविल न्यायाधीश क. ख. मावली ने मु.न. 04/2008 ई.दी. में प्रार्थीगण के कथन के अनुसार ही विक्रय 30.01.1966 ई. पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

विचार कर प्रार्थीगण का वाद खारिज किया। अगर प्रार्थीगण ने तारीख 30.01.1966 गलत लिखी तो इसमें संशोधन कर सकते थे, यही नहीं अपील में भी ऐसा उजर नहीं लिया, न कोई संशोधन ही कराया। चूंकि प्रार्थीगण कहीं भी सफल नहीं हुए तो पुरानी तारीख का विक्रय बताकर नया वाद लाये है, जो मानने योग्य नहीं हैं। वैसे मु.न. 04 सन् 2008 ई. दी. न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय क.ख. मावली का निर्णय तारीख 06.02.2009 एवं इसकी अपील दीवानी संख्या 24 सन् 2009 का निर्णय दिनांक 17.04.2012 है तब तक इनके निर्णयों को गलत होने का कथन प्रार्थीगण नहीं कर सकते है क्योंकि यह कथन तो केवल अपील न्यायालय में ही किया जा सकता है, इस न्यायालय में नहीं।

14. यह कि प्रार्थीगण का सम्वत् 2005 से आज तक कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। कब्जा विपक्षीगण का ही है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रतिकूल कब्जे से वे खातेदार कृषक हो गये है, यह कथन भी पूर्णतयाः गलत हैं। जब भूमि विपक्षीगण के ही कब्जे भुगतभोग में है तो कब्जा लेने का सवाल ही नहीं हैं। टाडावाडा से सालेरा डेढ घण्टे का रास्ता हैं। टाडावाडा रहते वादगत भूमि में कब्जा स्वामित्व नहीं रह जाता तो यह प्रार्थीगण की गलत मान्यता हैं। न ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान ही हैं। अप्रार्थीगण के नाम से भूमि वादगत का नामान्तरकरण सही खुला हैं। प्रार्थीगण का वादगत भूमि पर न तो कब्जा है, न इस भूमि का भुगतभोग ही है। वादगत भूमि विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार एवं भुगतभोग ही है। विपक्षीगण जाति से बलाई होकर अनुसूचित जाति के हैं। प्रार्थीगण जाति से जाट एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं खूंखार है इसलिए विपक्षीगण को डरा धमका कर उनकी भूमि अपने खातेदारी में दर्ज कर भूमि से विपक्षीगण को बेदखल करने पर तुले हुए है। जिस कार्य में वे कभी सफल नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण का वाद आधारहीन होने से सव्यय खारिज होगा। प्रार्थीगण ने वादगत भूमि को कभी नहीं खरीदा है, न कब्जा प्राप्त किया। कभी भी प्रार्थीगण या इनके पूर्वजो का इस वादगत जमीन पर कब्जा नहीं रहा हैं।

15. यह कि प्रार्थीगण का वादगत जमीन से कोई सम्बन्ध, कब्जा नहीं था, इसलिए उनको नामान्तरकरण की सूचना देना जरूरी नहीं था। भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा था इसलिये नामान्तरकरण विपक्षीगण के नाम से सही खुला। प्रार्थीगण विपक्षीगण के खातेदारी की कृषि भूमि के लिये विपक्षीगण के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण की नियत है कि वे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर विपक्षीगण से उनकी भूमि छीन लेवें। विपक्षीगण अपनी भूमि की निगरानी करने वक्त–वक्त पर आते रहते है, और निगरानी करते है परन्तु तारीख 30.06.2012 के दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण से प्रार्थीगण का मिलना ही नहीं हुआ, धमकी देने का सवाल ही नहीं। वादगत भूमि पर विपक्षीगण काबिज है जो उनका वैधानिक अधिकार हैं। वादगत भूमि में प्रार्थीगण का कोई स्वत्व, कब्जा कुछ भी नहीं हैं। प्रार्थीगण को तारीख 30.06.2012 को या अन्य किसी दिन वाद कारण पैदा नहीं होता है, न हो ही सकता हैं। प्रार्थीगण का वादगत भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा, न वर्तमान में ही हैं। वाद विपक्षीगण को तंग परेशान कर भूमि छिनने की षडयन्त्र हैं।

16. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की हैं। इस भूमि पर प्रार्थीगण या इनके पूर्वज किसी का भी कब्जा भुगतभोग कभी नहीं रहा। इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा विपक्षीगण के खिलाफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

17. प्रकरण में विपक्षी सं. 1, 2 का नाम पूर्व में तर्क किया जा चुका हैं। प्रार्थी संख्या 2 के हद तक प्रार्थना पत्र अबेट किया जा चुका हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. ***प्रथम दृष्टया मामला–*** प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि को सम्वत् 2005 में प्रार्थीगण के मौरूस द्वारा क्रय करना बताया हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में एक प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय ने मयाद बाहर होने से खारिज किया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज होने से तहसीलदार द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रकरण प्रार्थीगण के मौरूस के नाम प्रस्तुत किया गया था अर्थात् उक्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण के मौरूस का था क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत् तहसीलदार तभी सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करेगा जब अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति का कब्जा हो अर्थात् इस प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के मौरूस का माना हैं। पूर्व में प्रस्तुत प्रकरण को भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हैं अर्थात् प्रार्थीगण के मौरूस को बेदखल नहीं किया गया हैं। न्यायालय का मानना है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा पूर्व में प्रार्थीगण के मौरूस एवं वर्तमान में प्रार्थीगण का है। यदि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो विपक्षीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करेगें जिससे मौके पर अनावश्यक विवाद बढेगा। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज है तथा विपक्षीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है ऐसे में विपक्षीगण को भी पूर्णतया पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. ***सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम दर्ज हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण काबिज हैं। यदि विपक्षीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी परन्तु विपक्षीगण भी वादग्रस्त भूमि के खातेदार है इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का होने से एवं वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते है। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं।

19. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का हैं। विपक्षीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मौके से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested

## —: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा नाई का ढाणा पटवार हल्का बडियार तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064—67 की खाता संख्या 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 201, 202, 205 किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि से प्रार्थीगण को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बेदखल करने का प्रयास नहीं करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:30 IST
Reason: SelfAttested